मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 दिनांक 10.12.2023 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.–15616/13/2023/अनु.–10 इंदौर दिनांक :– 29/01/2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

01/ विज्ञापन क्रमांक–12/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 09.02.2023।

(1) विज्ञप्ति क्रमांक–12622/2022/अनु.–06 दिनांक 05.01.2023 (केविएट याचिका दायर किए जाने के संबंध में)।

(2) शुद्धि पत्र क्रमांक–1/12/2022 दिनांक 19.06.2023 (राज्य वन सेवा परीक्षा–2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण)।

(3) विज्ञप्ति क्रमांक–6404/06/2023/अनु.–10, दिनांक 04.08.2023 (राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के संबंध में केविएट याचिका दायर किए जाने के संबंध में)।।

(4) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 के आयोजन की सूचना के संबंध में दिनांक 12.09.2023।

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022** जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 10.12.2023 (रविवार) को एक सत्र में दोपहर 12:00 से 03:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसाार है :–

विज्ञापित पदों का विवरण							
स.क्र.	पद का नाम/विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
1	परियोजना क्षेत्रपाल	4	2	3	4	2	15
कुल		4	2	3	4	2	15

04/ राज्य सेवा परीक्षा–2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक–एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापन क्रमांक–12/2022/30.12.2022 शुद्धि पत्र क्रमांक–01/12/2022 दिनांक 19.06.2023 (राज्य वन सेवा परीक्षा–2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण) के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.–55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया हैं।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक–एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। राज्य

अविरत/..........

वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्राविधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है जिसे आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक–1/12/2022 दिनांक 19.06.2023 द्वारा प्रकाशित किया गया है। उक्त शुद्धि पत्र के अनुसार राज्य वन सेवा परीक्षा–2021 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
03	परियोजना क्षेत्रपाल	**4**	**2**	**2**

उपरोक्तानुसार राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022 के परीक्षा परिणाम में <u>**मुख्य भाग–अ**</u> के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार के लिए 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल–**43** अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :–

अविरत/........

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE FOREST SERVICE MAIN EXAMINATION 2022 PART A (MAIN)

LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR DOCUMENT SUBMISSION OF INTERVIEW AND PHYSICAL FITNESS

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	100007	37.	100255
2.	100010	38.	100256
3.	100011	39.	100258
4.	100025	40.	100260
5.	100034	41.	100278
6.	100037	42.	100292
7.	100039	43.	100295
8.	100041		
9.	100050		
10.	100064		
11.	100074		
12.	100097		
13.	100112		
14.	100123		
15.	100141		
16.	100158		
17.	100163		
18.	100170		
19.	100171		
20.	100172		
21.	100174		
22.	100178		
23.	100181		
24.	100185		
25.	100210		
26.	100214		
27.	100215		
28.	100218		
29.	100219		
30.	100222		
31.	100223		
32.	100225		
33.	100227		
34.	100243		
35.	100246		
36.	100249		

प्रावधिक भाग–ब के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल–12 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :–

अविरत/..........

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

STATE FOREST SERVICE MAIN EXAMINATION 2022 PART B (PROVISIONAL)

LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR DOCUMENT SUBMISSION OF INTERVIEW AND PHYSICAL FITNESS

S.NO.	ROLLNO
1.	100018
2.	100052
3.	100081
4.	100087
5.	100104
6.	100187
7.	100242
8.	100252
9.	100254
10.	100266
11.	100277
12.	100279

शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :–

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र–01

विज्ञापन क्रमांक :–12/2022 दिनांक 30.12.2022	पद/परीक्षा का नाम :—राज्य वन सेवा परीक्षा–2022
आवेदन क्रमांक/अनुक्रमांक–	अभ्यर्थी का नाम :–..

स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
2	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
3	उपस्थिति पत्रक–1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
4	व्यक्तिगत विवरण पत्रक–1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
5	अनुप्रमाणन फॉर्म–3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
6	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
7	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
8	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
9	स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त वर्षो की अंकसूचियां एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 24.10.2023 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) (छायाप्रति)।		
10	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
11	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की प्रति। (प्रमाण–पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
12	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र मान्य होंगे)। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
13	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र–01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
14	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2022–2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	
15	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
16	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण–पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
17	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र–1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
18	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09.02.2023 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
19	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
20	यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
21	आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
22	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांक ....से .... तक	....
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षरः–.................................

05/ शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र–01 अनुसार क्रम में प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक **12.02.2024** तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहें है, उनकी उम्मीद्वारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

<u>महत्वपूर्ण टीप :–</u>

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा–2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तो को पूर्ण नहीं करते है तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. राज्य वन सेवा परीक्षा–2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट **<u>www.mppsc.mp.gov.in</u>** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.–5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक–एस.एल.पी.–12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक **12.02.2024** तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :–

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर

अभिलेख के लिफाफे पर <u>राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2022</u> के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

29/01/24

उप परीक्षा नियंत्रक